न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 100/2023
GCMS Case No. : 2023/236

सायल :–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायलः–
बाबुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी हिंगोटन मगरी रायरा खुर्द पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
1. सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।
2. गैरसायल स्वयं।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 10.6.2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 03.10.2023 को गैरसायल बाबुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी हिंगोटन मगरी रायरा खुर्द पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना बगडी नगर जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2018 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से 2 प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, एक प्रकरण जैर ट्रायल है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	चालान नम्बर/दिनांक	नाम न्यायालय निर्णय
1	29/20.03.2018	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	19/24.03.2018	दिनांक 23.04.2019 को माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 4 पीओ एक्ट के तहत 01 वर्ष हेतु पांबद व 5 पीओ एक्ट के तहत 400 रूपये अभियोजन व्यय से दंडित किया गय
2	11/21.01.2019	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	04/31.01.2019	पैण्डिग ट्रायल
3	34/07.04.2020	धारा 19/54 आबकारी अधिनियम	152/18.07.2020	दिनांक 08.04.2022 को माननीय न्यायालय एसीजेएम सोजत द्वारा 4 पीओ एक्ट के तहत 01 वर्ष हेतु पांबद व 5 पीओ एक्ट के तहत 800 रूपये अभियोजन व्यय से दंडित किया गय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल बाबुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी हिंगोटन मगरी रायरा खुर्द पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली निरन्तर शराब तस्करी प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

गैरसायल ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुये कथन किया कि गैरसायल वर्तमान में आपराधिक कृत्यों में लिप्त नहीं है तथा खेतीबाडी करके अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। इसलिये सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय एसीजेएम कोर्ट सोजत में मुकदमा नम्बर 11/21.01.2019 अन्तर्गत धारा 19/54 आब. अधिनियम वर्तमान में जैर ट्रायल है। माननीय एसीजेएम कोर्ट सोजत के मुकदमा नम्बर 29/20.03.2018 में दिनांक 23.04.2019 को आदेश पारित करते हुए धारा 19/54 आब. अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 400 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकार माननीय एसीजेएम कोर्ट सोजत ने मुकदमा नम्बर 34/07.04. 2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2022 को आदेश पारित करते हुए धारा 19/54 आब. अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 800 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल बाबुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी हिंगोटन मगरी रायरा खुर्द पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

धारा 3(ख)(3) के तहत 2 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना बगडी नगर पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 25.06.2024 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल बाबुसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली गैरसायल बाबुसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी बगडी नगर जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली को भिजवाई जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 10/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली